एम. पी. पीसीएस

खंड - अ

प्रश्नः 1. इस प्रश्न में 15 अतिलघुत्तरीय उप-प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न हेतु आदर्श शब्द सीमा 20 शब्द होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का है।

प्रश्न (1.1) 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों का उद्देश्य क्या था?

उत्तरः हिंदू-मुस्लिम समुदायों को अलग-अलग निर्वाचन प्रणाली देकर प्रतिनिधित्व देना और विधायिकाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य था।

प्रश्न (1.2) पंचायतों का कार्यकाल

उत्तरः पंचायत के प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। पंचायत को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है।

प्रश्न (1.3) राज्य पुनर्गठन आयोग

उत्तरः राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों पर विचार करने के लिए की गई थी।

प्रश्न (1.4) बचपन बचाओ आंदोलन

उत्तरः यह एक भारतीय आंदोलन है, जिसकी शुरुआत 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने की थी। यह बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ एक गैर-सरकारी संगठन है।

प्रश्न (1.5) नीति आयोग के क्या कार्य हैं?

उत्तरः इसके मुख्य कार्य दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाएं तैयार करना, राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सहायता करना हैं।

प्रश्न (1.6) मूल अधिकारों की कुल कितनी श्रेणियाँ हैं और वे कौन-कौन सी हैं?

उत्तरः संविधान में मूल अधिकारों की 6 श्रेणियां हैं-समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार।

प्रश्न (1.7) वल्लभ भवन

उत्तरः वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश सरकार का प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय है। यह प्रदेश का राज्य सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों और आयुक्तों के कार्यालय स्थित हैं।

प्रश्न (1.8) राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

उत्तरः राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भारत में एक अर्द्ध-न्यायिक आयोग है जिसे वर्ष 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 42 के तहत स्थापित किया गया था।

एम. पी. पीसीएस

प्रश्न (1.9) भारत के बिस्मार्क

उत्तर: सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत को एकजुट करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।

प्रश्न (1.10) ऑपरेशन ग्रीन हंट

उत्तर: इसकी शुरुआत 2009-10 में की गई थी और नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी।

प्रश्न (1.11) कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है?

उत्तर: अनुच्छेद 126 के तहत, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों, तो राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है।

प्रश्न (1.12) अनुच्छेद-164 के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: अनुच्छेद-164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है।

प्रश्न (1.13) लोकनायक जयप्रकाश नारायण

उत्तर: लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, जिन्हें 1970 के दशक में "संपूर्ण क्रांति" आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। वे समाज सेवा के लिए "लोकनायक" के रूप में लोकप्रिय थे।

प्रश्न (1.14) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है?

उत्तर: संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है।

प्रश्न (1.15) भारत में जनहित याचिका के प्रणेता कौन माने जाते हैं?

उत्तर: भारत में जनहित याचिका के प्रणेता न्यायमूर्ति वी. आर. अय्यर और पी. एन. भगवती माने जाते हैं।

Chanakya ias

एम. पी. पीसीएस

प्रश्न :2. इस प्रश्न में 10 लघुत्तरीय उप-प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 60 शब्द होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 07 (सात) अंकों का है।

प्रश्न (2.1) अशोक मेहता समिति (1977) की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं?

उत्तर: अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ और रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की गई। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने, द्वि-स्तरीय प्रणाली (जिला एवं मंडल पंचायत), पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति, सामाजिक लेखा परीक्षण, न्याय पंचायत, अनुसूचित वर्गों हेतु आरक्षण एवं स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी की सिफारिश की। सरकार भंग होने से इन पर अमल नहीं हो सका।

प्रश्न (2.2) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं?

उत्तर: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना एवं व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। आयोग प्रतिस्पर्धा से संबंधित मामलों में सरकार को सुझाव देता है, जागरूकता फैलाता है तथा प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसे सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे – जुर्माना लगाना, संपत्ति का अधिग्रहण, विशेषज्ञों की नियुक्ति, एवं स्वयं के नाम से वाद दायर करना। आयोग लेखा-विवरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से तैयार करता है।

प्रश्न (2.3) अहिल्याबाई होल्कर द्वारा किए गए सामाजिक सुधारात्मक कार्यों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: अहिल्याबाई होल्कर ने अपने शासनकाल में सामाजिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और दहेज प्रथा का विरोध किया। जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाकर सभी जातियों को समान अधिकार दिए। उन्होंने शिक्षा, धार्मिक सहिष्णुता, तथा सामाजिक कल्याण के लिए स्कूल, अनाथालय और वृद्धाश्रम स्थापित किए। उनके कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं।

प्रश्न (2.4) सिविल सोसायटी की प्रशासन में क्या भूमिका होती है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: सिविल सोसायटी स्थानीय शासन को सशक्त बनाकर प्रशासन में जनसहभागिता को बढ़ावा देती है। यह जनता की माँगों को संगठित कर सरकार तक पहुँचाती है एवं प्रशासन पर सामुदायिक जवाबदेही प्रणाली लागू करती है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। ये संगठन जनता को योजनाओं की जानकारी देते हैं तथा प्रशासन को जनता की समस्याओं से अवगत कराते हैं। प्रो. राजकृष्ण के अनुसार, इनकी कार्यप्रणाली लचीली होती है और ये गरीबों के निकट रहते हैं।

प्रश्न (2.5) न्यायिक सक्रियता की अवधारणा के विकास के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: न्यायिक सक्रियता की अवधारणा तब विकसित हुई जब कार्यपालिका या विधायिका अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में विफल रही। जब नागरिकों के मूल अधिकार जैसे स्वास्थ्य, गरिमामयी जीवन, स्वच्छ वातावरण आदि की उपेक्षा होती है, तब न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। न्यायालय कानून के अभाव में मार्गदर्शक सिद्धांत (जैसे विशाखा गाइडलाइन) प्रदान करता है। यह विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग और सरकार की मनमानी को भी नियंत्रित करता है, जिससे न्यायपूर्ण शासन सुनिश्चित होता है।

प्रश्न (2.6) मध्यप्रदेश के विभाजन के क्या कारण थे तथा इसके क्या प्रमुख प्रभाव पड़े? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: मध्यप्रदेश का विभाजन 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ हुआ। यह विभाजन प्रशासनिक सुगमता, क्षेत्रीय असंतुलन और छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से तर्कसंगत था। इससे मध्यप्रदेश को खनिज, वन, जल संसाधन, जनजातीय संस्कृति व राजनीतिक प्रतिनिधित्व की हानि हुई। छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र पहचान व विकास के अवसर मिले। सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय प्रभावों के साथ यह विभाजन दोनों राज्यों के लिए ऐतिहासिक और निर्णायक रहा।

प्रश्न (2.7) स्व-सहायता समूह किन-किन प्रमुख कार्यों के माध्यम से समाज में योगदान देते हैं?

उत्तर: स्व-सहायता समूह गरीब एवं वंचित वर्ग को एकत्र कर रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं। ये आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाते हैं, स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर हस्तशिल्प व हथकरघा जैसे उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। वे श्रम आधारित रोजगार, शिक्षा व प्रशिक्षण, तथा सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही सरकारी विकास कार्यक्रमों में सहभागिता कर समाज के विकास में योगदान देते हैं।

प्रश्न (2.8) संविधान में संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: संविधान के अनुच्छेद 315(2) के अनुसार, दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग (JPSC) की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की जाती है। यह एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्यपालों को सौंपता है, जो उसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं।

प्रश्न (2.9) भारतीय संविधान के मूल ढाँचे की संकल्पना क्या है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: भारतीय संविधान के मूल ढाँचे की संकल्पना सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद (1973) में प्रतिपादित की। इसके अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढाँचे को नहीं बदल सकती। इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना और जन प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया सम्मिलित हैं। यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा करता है।

प्रश्न (2.10) द्वि-दलीय व्यवस्था के क्या प्रमुख लाभ हैं? साथ ही इसके दो संभावित नुकसानों का उल्लेख करें।

उत्तर: द्वि-दलीय व्यवस्था में सरकार बनाने में भ्रम नहीं होता, आर्थिक नीतियाँ स्पष्ट होती हैं, तथा दलों की विचारधारा समझना आसान होता है। इससे दल-बदल में भी कमी आती है। परंतु, इसकी कुछ हानियाँ भी हैं जैसे- सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता तथा चरमपंथी नीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। भारत जैसे विविधता वाले देश में इस प्रणाली को लागू करने से पहले गहराई से विचार करना आवश्यक है।

Chronicle IAS

एम. पी. पीसीएस

प्रश्न 3. इस प्रश्न में 05 दीर्घ उत्तरीय उप-प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 (दस) अंकों का है।

प्रश्न (3.1) सरकार द्वारा जनजातियों के समग्र उत्थान हेतु संचालित प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

उत्तर: भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय समाज के समग्र विकास एवं सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नयन हेतु अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री जनमन योजना (2023) विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए है, जिसका उद्देश्य आवास, स्वच्छ जल, पोषण, शिक्षा आदि मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता द्वारा उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है।

- सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना (2003-04) जनजातीय विद्यार्थियों को MPPSC एवं UPSC परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (2006) में 11वीं में प्रवेश लेने वाली जनजातीय बालिकाओं को 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिससे उनकी शिक्षा में निरंतरता बनी रहे।
- आहार अनुदान योजना (2017) के अंतर्गत सहरिया, बैगा और भारिया जनजातियों की महिला मुखिया को प्रतिमाह ₹ 1000 की राशि कुपोषण से मुक्ति हेतु प्रदान की जाती है।
- अनुसूचित जनजाति राहत योजना (2017) आपदा की स्थिति में जनजातीय वर्ग को तात्कालिक सहायता प्रदान करती है।
- बैगा महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम (2021-22) के तहत मंडला जिले की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता दी गई।
- प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (2021-26) में जनजातीय बहुल ग्रामों में आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है।
- टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ST वर्ग को स्वरोजगार हेतु 1 लाख से 50 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

इन योजनाओं से जनजातीय समाज का बहुआयामी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

अथवा/OR

प्रश्न (3.1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख कार्यों, शक्तियों एवं रिपोर्ट प्रणाली का वर्णन कीजिए।

उत्तर: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना एवं उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना है।

- आयोग का प्रमुख कार्य अनुसूचित जातियों को दिए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों, कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना है। यह अनुसूचित जातियों से संबंधित शिकायतों की जांच-पड़ताल करता है और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु सलाह देता है। वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी भी थी,

जिसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अलग कर दिया गया।

- आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे कि गवाहों को समन जारी करना, दस्तावेज मंगवाना, साक्ष्य लेना, और किसी भी लोक अभिलेख की प्रति प्राप्त करना। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह आयोग आंग्ल-भारतीय समुदाय के मामलों में भी कार्य करता है।
- आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य-विशिष्ट रिपोर्ट राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधानमंडल में रखी जाती है। संसद एवं विधानमंडल आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर सकते हैं, परंतु अस्वीकृति का कारण स्पष्ट करना आवश्यक होता है।

Chronicle ias

एम. पी. पीसीएस

प्रश्न (3.2) डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचारों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: डॉ. भीमराव अंबेडकर भारत के प्रमुख सामाजिक सुधारकों में से एक थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और दलित अधिकारों की स्थापना के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका जन्म निम्न वर्ग में हुआ था और उन्होंने जातीय भेदभाव को स्वयं भोगा, जिससे उनके सामाजिक विचारों को बल मिला।

- वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में अंबेडकर का मानना था कि यह व्यवस्था जन्म आधारित है, जो श्रमिकों का विभाजन करती है न कि श्रम का। यह सृजनात्मकता को बाधित करती है और सामाजिक विषमता को जन्म देती है। उन्होंने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ और शूद्रों को हीन बताने वाली व्यवस्था की आलोचना करते हुए इसे समाप्त करने की आवश्यकता बताई।
- जाति प्रथा के विरुद्ध उन्होंने गांधीजी के हृदय परिवर्तन आधारित दृष्टिकोण की आलोचना की और इसे अव्यावहारिक माना। उनका मानना था कि जाति प्रथा का मूल धार्मिक ग्रंथों में है, अत: धर्म में सुधार आवश्यक है। उन्होंने पुजारी चयन हेतु परीक्षा प्रणाली और सभी के लिए धार्मिक अवसरों की समानता की बात कही।
- महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अंबेडकर ने स्त्रियों की स्वतंत्रता व सम्मानजनक जीवन के लिए शिक्षा, उत्तराधिकार और विवाह कानूनों में सुधार हेतु 'हिंदू कोड बिल' प्रस्तुत किया, जिसका व्यापक विरोध हुआ।
- दलित उत्थान के लिए उन्होंने आरक्षण, शिक्षा, संगठन, और कानून के माध्यम से समानता की स्थापना की व अस्पृश्यता को अपराध घोषित कराने में अहम भूमिका निभाई।
- अंतत:, अंबेडकर के सामाजिक विचार आज भी प्रासंगिक हैं और भारतीय संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के मूल स्तंभ उन्हीं के विचारों पर आधारित हैं।

अथवा/OR

प्रश्न (3.2) भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर: भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक शक्ति के रूप में उभरी है, जिसका प्रभाव चुनावों से लेकर नीति निर्माण तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। परंपरागत समाज में जातियां सामाजिक संरचना का आधार थीं, परंतु आधुनिक लोकतंत्र में इनकी भूमिका राजनीतिक समर्थन और शक्ति प्राप्ति से जुड़ गई है।

- जातियों ने संगठित होकर राजनीतिक दलों को प्रभावित करना शुरू किया, जिससे मंत्रिमंडल निर्माण, प्रशासनिक नियुक्तियों और नीति निर्धारण में जातिगत समीकरणों का महत्व बढ़ा। जैसे उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय या बिहार में यादव समुदाय का राजनीतिक प्रभाव देखा गया है।
- राजनीतिक दल चुनावी रणनीति में जातिगत समीकरणों का प्रयोग करते हैं। प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार तक, जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन गया है।

इससे न केवल जातियों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है बल्कि कमजोर और दलित वर्गों की भी जागरूकता में वृद्धि हुई है।

एम. पी. पीसीएस

प्रश्न (3.3) भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों की विशेषताओं एवं महत्व का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भारतीय संविधान के भाग-IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और भारत के सामाजिक-आर्थिक न्याय की भावना को साकार करने का प्रयास करते हैं। इनका उद्देश्य एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जहाँ सभी नागरिकों को समान अवसर, न्याय, स्वतंत्रता और सम्मानपूर्ण जीवन मिल सके।

इन सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. **अन्याय के विरुद्ध मार्गदर्शन:** ये सरकार को ऐसे नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो।
2. **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं:** ये सिद्धांत न्यायालयों में लागू करने योग्य नहीं हैं, परंतु राज्य के लिए नैतिक रूप से अनिवार्य हैं।
3. **समाजवाद और लोकतंत्र का समर्थन:** ये आर्थिक विषमता को समाप्त करने, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और कमजोर वर्गों के कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।
4. **न्यायपालिका द्वारा समर्थन:** सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नीति निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित करते हुए सामाजिक न्याय के निर्णयों में स्थान दिया है।

- इन सिद्धांतों के माध्यम से संविधान निर्माता एक ऐसा सामाजिक ढांचा बनाना चाहते थे जहाँ हर व्यक्ति को गरिमामय जीवन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समानता का अधिकार मिले।

निष्कर्षत: नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की आत्मा हैं जो सरकार को सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में प्रेरित करते हैं।

अथवा

प्रश्न (3.3) मध्यप्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका का ऐतिहासिक एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर: मध्यप्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से अत्यंत सशक्त एवं प्रभावशाली रही है। स्वतंत्रता संग्राम के समय से लेकर वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था तक महिलाओं ने विविध स्तरों पर नेतृत्व कर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- ऐतिहासिक योगदान की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में ग्वालियर क्षेत्र में नेतृत्व किया। रानी अवंतीबाई व गिरधारी बाई ने महाकोशल क्षेत्र से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। सुभद्रा कुमारी चौहान, कस्तूरीबाई उपाध्याय, श्रीमती दुर्गा देवी, फातिमा बेगम और रानी फूलकुंवर जैसी वीरांगनाओं ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी कर प्रदेश की राजनीतिक चेतना को प्रेरित किया।
- आधुनिक राजनीति में भी महिलाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। सुषमा स्वराज (विदिशा) न केवल मध्यप्रदेश बल्कि भारत की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता रहीं, जो विदेश मंत्री पद तक पहुँचीं। वर्ष 2023 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में 27 महिलाएं निर्वाचित हुईं, जो राज्य की राजनीति में महिला सहभागिता को दर्शाता है।
- इसके अतिरिक्त, महिलाएं सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल अधिकारों जैसे विषयों पर मुखर होकर जनप्रतिनिधियों एवं नागरिक समाज के माध्यम से दबाव बना रही हैं।

इस प्रकार, मध्यप्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी सक्रिय भागीदारी की है।

Chronicle IAS

एम. पी. पीसीएस

प्रश्न (3.4) विधानसभा में विपक्ष की भूमिका और उसके महत्व का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर: विधानसभा में विपक्ष लोकतंत्र की आधारशिला है, जो सरकार के कार्यों की समीक्षा कर उसे उत्तरदायी बनाने का कार्य करता है। विपक्ष का प्रमुख कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उनके दोष उजागर करना तथा रचनात्मक सुझाव देना होता है।

- यह जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता की समस्याओं को सदन में उठाता है तथा समाधान की मांग करता है। विपक्ष नीतिगत विकल्पों को प्रस्तुत कर सरकार को बेहतर नीतियाँ अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
- लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने हेतु विपक्ष स्वस्थ बहस और आलोचना की संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह बहस, प्रश्नकाल तथा विभिन्न समितियों में भाग लेकर विधायी प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है।
- इसके अलावा विपक्ष सरकार को निर्णयों में संतुलन बनाए रखने हेतु बाध्य करता है तथा तानाशाही प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है। यह देश की एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है।
- विपक्ष आम जनता को राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करता है, जिससे एक जिम्मेदार नागरिक समाज का निर्माण होता है। यह भविष्य के नेतृत्व को भी तैयार करता है और युवाओं को राजनीति में भागीदारी हेतु प्रेरित करता है।

इस प्रकार विधानसभा में विपक्ष एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है जो लोकतंत्र को सशक्त और उत्तरदायी बनाता है।

अथवा/OR

प्रश्न (3.4) वर्तमान समय में मीडिया के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर: मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यह समाज को दिशा देने, सूचना पहुँचाने और जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया का प्रभाव वर्तमान समय में अत्यधिक व्यापक हो गया है, जिसमें इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष सामने आते हैं।

- सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो मीडिया भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जनमत तैयार करता है। स्टिंग ऑपरेशन, जनहित पत्रकारिता और सूचना के प्रचार-प्रसार के माध्यम से यह सामाजिक जागरूकता फैलाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां आम जनता तक पहुँचती हैं। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक बनाया है, जिससे वंचित वर्गों की भी आवाज उठने लगी है। साथ ही, मीडिया ने रोजगार और व्यावसायिक अवसर भी प्रदान किए हैं।
- वहीं, नकारात्मक प्रभावों में सोशल मीडिया की पारदर्शिता पर प्रश्न उठते हैं। साइबर अपराध, डाटा चोरी, ट्रोलिंग, फेक न्यूज, हेट स्पीच जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सनसनीखेज खबरें बच्चों की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। राजनीतिक दलों द्वारा मीडिया के दुरुपयोग से लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुँचती है। जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को उकसाने वाले कार्यक्रम सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं।
- अतः मीडिया का प्रभाव समाज पर गहरा है। आवश्यकता इस बात की है कि मीडिया जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करे और समाज में समरसता, सत्य तथा सकारात्मकता को बढ़ावा दे।

एम. पी. पीसीएस

प्रश्न (3.5) भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भारतीय संविधान एक संघीय शासन प्रणाली को अपनाता है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसी संदर्भ में संविधान में वित्तीय संबंधों की भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है, जो मुख्यत: अनुच्छेद 268 से 293 तक वर्णित है।

1. **कराधान संबंधी प्रावधान:**
   संविधान के अनुसार कुछ कर केवल केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं (जैसे- आयकर, सीमा शुल्क), कुछ कर राज्य सरकार द्वारा (जैसे- बिक्री कर, भूमि राजस्व), तथा कुछ कर केंद्र द्वारा वसूले जाते हैं लेकिन राज्यों को वितरित किए जाते हैं (जैसे- केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर का हिस्सा)।
2. **अनुदान और सहायता:**
   राज्यों को उनकी जरूरतों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत दिया जाता है। इसके अलावा वित्त आयोग समय-समय पर करों के वितरण की अनुशंसा करता है।
3. **वित्त आयोग की भूमिका:**
   संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण की सिफारिश करता है।
4. **योजना सहायता:**
   नीति आयोग तथा अन्य योजनागत निकायों के माध्यम से केंद्र राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

निष्कर्षत: भारत में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध संविधान द्वारा निर्धारित स्पष्ट ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं, जिसका उद्देश्य संसाधनों का संतुलित एवं न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है।

हालांकि, जाति के आधार पर राजनीतिकरण से लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति भी पहुँची है। प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार, जाति और राजनीति का यह गठजोड़ सामाजिक समरसता में बाधक भी बन सकता है।

वर्तमान में शिक्षा, शहरीकरण और आर्थिक विकास के बावजूद जातिगत राजनीति की पकड़ बनी हुई है। ऐसे में आवश्यकता है कि राजनीति में योग्यता और सामाजिक समावेशन को जातिगत समीकरणों से ऊपर रखा जाए, जिससे लोकतंत्र की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

अथवा/OR

प्रश्न (3.5) मध्यप्रदेश में नक्सली समस्या के समाधान हेतु अपनाए गए प्रमुख उपायों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर: मध्यप्रदेश में नक्सलवाद एक जटिल एवं बहुआयामी चुनौती रही है, जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ विकास को भी प्रभावित करती है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा, विकास और शासन सुधार को एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में अपनाया गया है।

- सुरक्षा उपायों के अंतर्गत राज्य में वर्ष 1998 में हॉक फोर्स का गठन किया गया, जो नक्सल विरोधी अभियानों में प्रमुख भूमिका निभा रही है। वर्ष 2021 में सरकार ने बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों को नक्सल प्रभावित घोषित कर बालाघाट पुलिस जोन में शामिल किया, जिससे सुरक्षा प्रबंधन में केंद्रीकरण आया। बेहतर खुफिया तंत्र, सुरक्षा एजेंसियों में समन्वय और जनसंपर्क

उन्मुख पुलिसिंग को प्राथमिकता दी गई है।

- विकासात्मक उपायों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। सरकार द्वारा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।
- शासन सुधारों में भ्रष्टाचार उन्मूलन, प्रशासनिक पारदर्शिता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सशक्त बनाया जा रहा है। यह न केवल विश्वास बहाली में सहायक है बल्कि प्रशासन को जनोन्मुख भी बनाता है।

इस प्रकार, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नक्सल समस्या से निपटने हेतु बहुआयामी एवं संतुलित रणनीति अपनाई जा रही है, जो दीर्घकालिक समाधान की दिशा में सहायक सिद्ध हो रही है।

Chronicle ias